

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आईडीएसपी/कोरोना/2021/69

दिनांक: 12/04/2021

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,

समस्त अधीक्षक,

समस्त संयुक्त निदेशक,(जोन)

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,


समस्त जिले, राजस्थान।

विषय:- कोविड-19 रोगियों को Home Isolation में रखने एवं दवा व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने बाबत।

विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक आईडीएसपी/2020/459 दिनांक 30.04.2020 के द्वारा कोविड-19 के रोगियों को Home Isolation में रखने संबंधित गाईडलाईन जारी की गयी। साथ ही विभाग के समसंख्यक आदेश पत्रांक निस/प्रशास/चिस्वा/2020 जयपुर दिनांक 14.10.2020 द्वारा Home Isolation में रह रहे कोविड-19 रोगियों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु परिपत्र जारी किया गया।

उपरोक्त दोनो आदेशों की निरन्तरता में निम्नानुसार पालना सुनिश्चित करे :-

- जिन कोविड-19 रोगियों को Home Isolation अनुमत किया जाता है उन्हें विभाग द्वारा तैयार की गयी दिशा-निर्देश पुस्तिका आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जावें।
- होम आईसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगी को MNDY के तहत उपचार में वांछित दवाएं Tab Paracetamol (10) Tab Zinc Sulphate 50 mg (10) एवं Tab Vitamin C 500mg (20) उनके घर पर निःशुल्क उपलब्ध करायी जावें।
- होम आईसोलेशन अवधि दौरान न्यूनतम 3 बार कोविड रोगी से दुरभाष पर सम्पर्क कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की जावें तथा परामर्श एवं गम्भीरता होने पर चिकित्सालय में भर्ती करावें।
- होम आईसोलेशन अवधि पश्चात् कोविड रोगी को कॉल करके उसके स्वास्थ्य की स्थिति अनुसार आईसोलेशन समाप्त करने का निर्णय कर रोगी को सूचित करे।

 12/4/21

(सिद्धार्थ महाजन)

शासन सचिव,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,


राजस्थान, जयपुर

दिनांक:

क्रमांक: आईडीएसपी/कोरोना/2021/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक, (एनएचएम) एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. अति० मिशन निदेशक, (एनएचएम) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन० स्वा०), मुख्यालय।
6. अति निदेशक (ग्रा० स्वा०) मुख्यालय।
7. एसएनओ (आईडीएसपी) मुख्यालय।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

 (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर